

सेवार्थ

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री रामलाल पिता/पति श्री किशना कुमारी
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री रामलाल पिता/पति
किशना कुमारी निवासी आंवण्डेडा का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का आंवण्डेडा के राजस्व ग्राम आंवण्डेडा में खाता संख्या 247
किता 17 रकबा 3.22 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम रामा पुत्र किशना दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में रामलाल पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम रामा पुत्र किशना के बजाय रामलाल पुत्र किशना दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक 17/10/2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का आंवण्डेडा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामा पिता/पति किशना कुमारी निवासी
आंवण्डेडा राजस्व ग्राम आंवण्डेडा पटवार हल्का आंवण्डेडा को जमाबन्दी में रामा पुत्र किशना
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में रामलाल पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

Peey
हस्ताक्षर पटवारी
आंवण्डेडा

पटवारी
पटवार हल्का
तह. बस्ती (चित्तौड़गढ़)

Peey
हस्ताक्षर भू-सूचि

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-भू.अ / 2025 /

दिनांक:-17/10/2025

पेशिनि.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राम पिता/पत्नि किशोरा कुमारी निवासी आवण्डेडा पटवार हल्का आवण्डेडा के राजस्व ग्राम आवण्डेडा में जमाबन्दी सन्त 2078-81 की खाता संख्या 247 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम आवण्डेडा पुत्र किशोरा किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम राम पुत्र का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। किशोरा कुमारी

जाति सशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में सशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बरसी

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/605

दिनांक 31/10/2025

निमित्त.

पटवार हल्का आवण्डेडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री राम पिता/पत्नि किशोरा कुमारी राजस्व ग्राम आवण्डेडा पटवार हल्का आवण्डेडा की खाता संख्या 247 में जाति/नाम राम पुत्र किशोरा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राम पिता/पत्नि किशोरा कुमारी की जाति/नाम राम पुत्र किशोरा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का आवण्डेडा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।